

विषय-वस्तु

पैरा नं.	ब्योरे	पृष्ठ सं.
क	उद्देश्य	4
ख	वर्गीकरण	4
ग	पिछले अनुदेश	4
घ	प्रयोज्यता	4
1.	प्रस्तावना	5
2.	दिशानिर्देश	5
2.1	सामान्य दिशानिर्देश	5
2.2	गारंटी कारोबार के परिचालन के संबंध में दिशानिर्देश	6
2.2.1	गैर-जमानती अग्रिमों और गारंटियों के लिए मानदंड	6
2.2.2	गारंटियां जारी करने के लिए सावधानी	7
2.2.3	धोखा-धड़ियों से बचने के लिए एहतियात	7
2.2.4	घोष समिति की सिफारिशें	8
2.2.5	आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां	8
2.2.6	बैंकों के निदेशकों की ओर से गारंटियां	9
2.2.7	भारत सरकार की बैंक गारंटी योजना	9
2.2.8	शेयर और स्टॉक दलालों/पण्य दलालों की ओर से गारंटियां	11
2.2.9	ऋण लेनेवाले प्रतिष्ठानों के निदेशकों और अन्य प्रबंधकीय कार्मिकों की व्यक्तिगत गारंटियां प्राप्त करने के संबंध में दिशानिर्देश	11
2.2.10	राज्य सरकार की गारंटियां	14
2.3	विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) विनियमावली के अंतर्गत जारी विनियमों द्वारा नियंत्रित गारंटियाँ	14
2.3.1	निर्यातों के लिए बोली बांड और कार्य निष्पादन बांड अथवा गारंटी	14
2.3.2	बैंक गारंटी जारी करना	15
2.3.3	अन्य शर्तें	16
2.3.4	भारतीय निर्यातकों की ओर से विदेशी नियोक्ताओं/आयातकों के पक्ष में बिना शर्त गारंटी	17
2.3.5	परियोजना निर्यातों के मामले में कुछ सावधानियां	17
2.3.6	निर्यात अग्रिम के लिए गारंटियां	18
2.3.7	बैंक प्रक्रियाओं की समीक्षा	19
2.3.8	विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियमावली द्वारा विनियमित अन्य गारंटियां	19
2.4	अंतर कंपनी जामराशियों /ऋणों की गारंटियों पर प्रतिबंध	24

2.4.1	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पास निधियां रखने के लिए गारंटियों पर प्रतिबंध	24
2.4.2	अंतर संस्थागत गारंटियों पर प्रतिबंध	24
2.5	लागू की गयी गारंटियों की अदायगी	28
2.6	बिलों की सह-स्वीकृति	31
2.6.1	सामान्य	31
2.6.2	सुरक्षा के उपाय	32
2.7	साखपत्रों के मामले में बरती जाने वाली सावधानी	34
अनुबंध 1	बैंक गारंटी बांड का मॉडल फार्म	36
अनुबंध 2	प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा लागू गारंटियां / वचनपत्र / चुकौती आश्वासन पत्र	38
अनुबंध 3	समेकित परिपत्रों की सूची	39

मास्टर परिपत्र - गारंटियाँ और सह-स्वीकृतियाँ

क. उद्देश्य

यह मास्टर परिपत्र बैंकों द्वारा गारंटी कारोबार के परिचालन के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी नियमों / विनियमों / अनुदेशों का एक संग्रह प्रस्तुत करता है।

ख. वर्गीकरण

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक द्वारा जारी सांविधिक निदेश।

ग. पिछले अनुदेश

यह मास्टर परिपत्र 1 जुलाई 2010 के मास्टर परिपत्र में उपर्युक्त विषय पर जारी पिछले अनुदेशों को अद्यतन करता है।

घ. प्रयोज्यता

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक।

संरचना

1. प्रस्तावना

2. दिशानिर्देश

- 2.1 सामान्य दिशानिर्देश
- 2.2 गारंटी कारोबार के परिचालन के संबंध में दिशानिर्देश
- 2.3 विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) विनियमावली के अंतर्गत जारी विनियमों द्वारा नियंत्रित गारंटियाँ
- 2.4 अंतर कंपनी जामराशियों / ऋणों की गारंटियों पर प्रतिबंध
- 2.5 लागू की गयी गारंटियों की अदायगी
- 2.6 बिलों की सह-स्वीकृति
- 2.7 साखपत्रों के मामले में बरती जाने वाली सावधानी

3. अनुबंध

- | | |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| अनुबंध 1 | बैंक गारंटी बांड का मॉडल फार्म |
| अनुबंध 2 | प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा लागू गारंटियाँ / वचनपत्र / चुकौती आश्वासन पत्र |
| अनुबंध 3 | समेकित परिपत्रों की सूची |

1. प्रस्तावना

किसी बैंकिंग संस्था की सुदृढता के संबंध में निर्णय करने के लिए एक महत्वपूर्ण कसौटी न केवल उसके आस्ति संविभाग बल्कि उसकी आकस्मिक देयता संबंधी प्रतिबद्धताओं जैसे गारंटियां, साखपत्र आदि का आकार और स्वरूप भी है। कारोबार के अंग के रूप में, बैंक विभिन्न प्रयोजनों के लिए अपने ग्राहकों की ओर से गारंटियां जारी करते हैं। बैंकों द्वारा निष्पादित गारंटियों में कार्यनिष्पादन गारंटियां और वित्तीय गारंटियां दोनों शामिल होती हैं। ये गारंटियां करार की शर्तों, जैसे सुरक्षा, परिपक्वता अवधि और प्रयोजन के अनुसार तैयार की जाती हैं। तुलनपत्र में शामिल और तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजर के लिए जोखिम भार लागू किये जाने से बैंक जोखिम के प्रति अधिक संवेदनशील हो गये हैं, जिसके परिणामस्वरूप वे अपने कारोबार के एक्सपोजर की अधिक विवेकपूर्ण ढंग से संरचना कर सकते हैं। बैंकों को अपने गारंटी कारोबार के परिचालन में निम्नलिखित दिशानिर्देशों का अनुपालन करना चाहिए।

2. दिशानिर्देश

2.1 सामान्य दिशानिर्देश

2.1.1 जहां तक गारंटी के प्रयोजन का संबंध है, सामान्यतया बैंकों को अपने को वित्तीय गारंटियों के प्रावधान तक सीमित रखना चाहिए और कार्यनिष्पादन गारंटी कारोबार के संबंध में पर्याप्त सतर्कता बरतनी चाहिए।

2.1.2 जहां तक परिपक्वता अवधि का संबंध है, सामान्यतया बैंकों को छोटी परिपक्वता अवधियों को गारंटी देनी चाहिए और लंबी परिपक्वता अवधियों को अन्य संस्थाओं द्वारा गारंटी दिये जाने के लिए छोड़ देना चाहिए।

2.1.3 कोई भी बैंक गारंटी सामान्य तौर पर 10 वर्ष से अधिक की परिपक्वता की नहीं होनी चाहिए। तथापि, बैंकिंग उद्योग में बदले हुए परिदृश्य के मद्देनजर जहां बैंक विभिन्न परियोजनाओं के लिए 10 वर्ष से लंबी अवधियों के लिए दीर्घावधि ऋण प्रदान करते हैं, यह निर्णय लिया गया है कि बैंकों को 10 वर्ष की अवधि से भी अधिक अवधियों के लिए गारंटियां जारी करने की अनुमति भी दी जाए। बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे ऐसी गारंटियां जारी करते समय अत्यधिक लंबे समय वाली गारंटियों का उनके आस्ति देयता प्रबंधन पर पड़ने वाले प्रभाव को भी ध्यान में ले। साथ ही, बैंक अपने निदेशक बोर्ड के अनुमोदन से 10 वर्ष से अधिक अवधि के लिए गारंटियां जारी करने के संबंध में उचित समझी गई नीति विकसित करें।

2.2 गारंटी कारोबार के परिचालन के संबंध में दिशानिर्देश

2.2.1 गैर-जमानती अग्रिमों और गारंटियों के लिए मानदंड

- (i) 17 जून 2004 तक बैंकों को गैर-जमानती गारंटियों के रूप में किये गये अपने वायदों को इस प्रकार सीमित रखना आवश्यक था कि बैंक की बकाया गैर-जमानती गारंटियों का 20 प्रतिशत तथा उसके बकाया गैर-जमानती अग्रिमों का जोड़ उसके कुल बकाया अग्रिमों के 15 प्रतिशत से अधिक न हो। बैंकों को उनकी ऋण नीतियों के संबंध में अधिक लचीलापन प्रदान करने की दृष्टि से बैंकों के गैर-जमानती एक्सपोजर की वर्तमान सीमा को निकाल दिया गया है। बैंकों के बोर्ड अपने गैर-जमानती ऋणों के संबंध में अपनी नीतियां निर्धारित कर सकते हैं। "गैर जमानती एक्सपोजर" को ऐसे एक्सपोजर के रूप में परिभाषित किया गया है जहां बैंक/अनुमोदित मूल्यांककों /भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षणकर्ता अधिकारियों द्वारा मूल्यांकित जमानत का वसूली योग्य मूल्य आरंभ से ही एक्सपोजर के 10 प्रतिशत मूल्य से अधिक नहीं है। एक्सपोजर में समस्त निधिक तथा गैर-निधिक एक्सपोजर (जिनमें हामीदारी तथा उसी प्रकार की प्रतिबद्धताएं शामिल हैं) शामिल होंगे। 'जमानत' का अर्थ होगा बैंक को उचित ढंग से प्रभारित मूर्त जमानत और उसमें गारंटियों, कम्फर्ट लेटर्स आदि जैसी अमूर्त जमानत शामिल नहीं होंगी।
- (ii) बैंक के प्रकाशित तुलन पत्र की अनुसूची 9 में प्रकट करने हेतु बेजमानती अग्रिमों की राशि निर्धारित करने के लिए बैंकों द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं (इनफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं सहित) के संबंध में बैंकों को संपार्श्विक के रूप में दिये गये अधिकारों, लाइसेंसें, प्राधिकारों आदि की गणना मूर्त प्रतिभूति के रूप में नहीं की जानी चाहिए। तथापि बैंक सड़क/राजमार्ग परियोजनाओं के संबंध में निर्माण-परिचालन-स्थानांतरण (बीओटी) मॉडल के अंतर्गत वार्षिकी को और जहां यातायात का एक सुनिश्चित स्तर हासिल न कर पाने की स्थिति में परियोजना प्रायोजक को क्षतिपूर्ति करने के प्रावधान हों उन मामलों में महसूल संग्रह अधिकारों को मूर्त प्रतिभूति मान सकते हैं बशर्ते वार्षिकी प्राप्त करने तथा महसूल संग्रह करने के संबंध में बैंकों के अधिकार विधिक रूप से लागू करने योग्य और अप्रतिसंहरणीय हों।
- (iii) गैर-जमानती अग्रिमों की गणना के लिए दी गयी सभी छूट वापस ले ली गयी है।

2.2.2 गारंटियां जारी करने के लिए सावधानी

बैंकों को अपने ग्राहकों की ओर से गारंटियां जारी करते समय निम्नलिखित सावधानी बरतनी चाहिए।

i. नियमतः, बैंकों को बड़ी राशियों के लिए और मध्यावधि तथा दीर्घावधि के लिए गैर-जमानती गारंटियां देने से बचना चाहिए। उन्हें ग्राहकों के खास समूहों और / या व्यापार में ऐसी गैर-जमानती गारंटी प्रतिबद्धताओं के अनुचित संकेंद्रण से बचना चाहिए।

ii. किसी एक ग्राहक को दी गयी गैर-जमानती गारंटियाँ बैंक की कुल गैर-जमानती गारंटियों के उचित अनुपात तक सीमित रहनी चाहिए। किसी व्यक्ति की ओर से दी जानेवाली गारंटियां भी उस ग्राहक की ईक्विटी के तर्कसंगत अनुपात में होनी चाहिए।

iii. अपवादात्मक मामलों में, बैंक ऐसे प्रथम श्रेणी के ग्राहकों को सामान्य राशि के लिए गैर-जमानती आधार पर आस्थगित अदायगी गारंटियां दे सकते हैं जिन्होंने सरकार की नीति के अनुरूप आस्थगित अदायगी व्यवस्थाएं की हैं।

iv. किसी एक ग्राहक या ग्राहकों के समूह की ओर से निष्पादित गारंटियां निर्दिष्ट एक्सपोजर मानदंडों के अधीन होनी चाहिए।

इसे ध्यान में रखना आवश्यक है कि गारंटियों में अंतर्निहित जोखिम होता है और आम तौर पर यह बैंक के हित में या जनता के हित में नहीं होता कि पार्टियों को अपने वायदों से आगे बढ़ने और गारंटी सुविधाओं की आसानी से उपलब्धता पर पूरी तरह निर्भर रह कर उद्यम प्रारंभ करने के लिए प्रोत्साहित किया जाये।

2.2.3 धोखाधड़ियों से बचने के लिए एहतियात

ग्राहकों की ओर से गारंटियां जारी करते समय बैंकों द्वारा निम्नलिखित सुरक्षा उपाय अपनाये जाने चाहिए :

i. वित्तीय गारंटियां जारी करते समय, बैंकों को इस बात से आश्वस्त होना चाहिए कि यदि बैंक को गारंटी के अंतर्गत अदायगी करनी पड़े तो ग्राहक बैंक को उसकी प्रतिपूर्ति करने की स्थिति में होगा।

ii. कार्यनिष्पादन गारंटी के मामले में, बैंकों को पूरी सतर्कता बरतनी चाहिए और ग्राहक के साथ अपने आपको इस बात से संतुष्ट करने का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए कि संविदा के अंतर्गत दायित्वों को निभाने के लिए ग्राहक के पास आवश्यक अनुभव, क्षमता और साधन हैं तथा उसके द्वारा किसी प्रकार की चूक की संभावना नहीं है।

iii. बैंकों को उन ग्राहकों के तरफ से गारंटियां जारी करने से बचना चाहिए जो उनसे ऋण सुविधाएं नहीं लेते। तथापि अनुसूचित वाणिज्य बैंक सहकारी बैंक की प्रति-गारंटी पर सहकारी बैंकों के ग्राहकों को बैंक गारंटी/साख पत्र जारी कर सकते हैं। इस प्रकार के मामलों में बैंक ऋण और अग्रिम-सांविधिक तथा अन्य प्रतिबंध पर 01 जुलाई 2011 के मास्टर परिपत्र के पैराग्राफ 2.3.9.2 के प्रावधानों का पालन करें। इसके अतिरिक्त, बैंकों को इसका समाधान होना चाहिए कि संबंधित सहकारी बैंकों में ऋण समीक्षा तथा निगरानी प्रणालियों के साथ-साथ 'अपने ग्राहक को जानिए' (केवाईसी) की सुदृढ़ व्यवस्था मौजूद है। सहकारी बैंकों के

विशिष्ट ग्राहकों को बैंक गारंटी/साख-पत्र जारी करने से पहले बैंकों को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि इन मामलों में केवाईसी को ठीक से अमल में लाया गया है।

2.2.4 घोष समिति की सिफारिशें

बैंकों को उच्चस्तरीय समिति (अध्यक्ष : श्री अमिताभ घोष, रिजर्व बैंक के तत्कालीन उप गवर्नर) द्वारा की गयी निम्नलिखित सिफारिशों को कार्यान्वित करना चाहिए :

- i. बेहिसाब गारंटियां जारी करने से रोकने तथा जाली गारंटियों को रोकने के उद्देश्य से भारतीय बैंक संघ द्वारा सुझाये गये अनुसार बैंक गारंटियां क्रमवार संख्या वाले प्रतिभूति फार्म में जारी की जायें।
- ii. गारंटी अग्रेषित करते समय बैंकों द्वारा लाभार्थियों को सतर्क किया जाना चाहिए कि वे अपने हित में जारीकर्ता बैंक के साथ गारंटी की प्रामाणिकता की जाँच कर लें।

2.2.5 आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां

50,000 रुपये और अधिक के लिए जारी की गयी बैंक गारंटियां दो पदाधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित होनी चाहिए। बैंकों द्वारा जहां आवश्यक समझा जाये वहां शाखाओं के आकार और श्रेणी के अनुसार निम्नतर सीमा निर्धारित की जाये। इस प्रकार की प्रणाली एकल हस्ताक्षरकर्ता के गलत प्रत्यक्ष ज्ञान /निर्णय या ईमानदारी /निष्ठा की कमी से होनेवाली कुप्रथाओं /हानियों की संभावना को कम करेगी। बैंकों को इन अनुदेशों की भावना को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त प्रणालियां और क्रियाविधियां बनानी चाहिए और केवल अपवादात्मक परिस्थितियों में ही दो हस्ताक्षरों के अनुशासन से हटने की अनुमति देनी चाहिए। ऐसे मामलों में अपने पदाधिकारियों द्वारा धोखाधड़ियों और कुप्रथाओं को रोकने के लिए प्रणालियों और क्रियाविधियों की पर्याप्तता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी बैंकों के सर्वोच्च प्रबंध तंत्र की होगी। यदि लिखतों पर केवल एक हस्ताक्षर करने की अपवादात्मक अनुमति दी जाती है, तो बैंकों में ऐसे लिखतों की शाखाओं के आंतरिक निरीक्षण के समय लेखा-परीक्षकों या निरीक्षकों द्वारा विशेष जांच की प्रणाली होनी चाहिए।

2.2.6 बैंकों के निदेशकों की ओर से गारंटियां

- 2.2.6.1 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 20 में बैंकों के अपने किसी निदेशक या ऐसी किसी फर्म या कंपनी को ऋण या अग्रिम देने पर प्रतिबंध है, जिसमें उनका कोई निदेशक भागीदार या गारंटीदाता है। तथापि, कतिपय ऐसी सुविधाओं को जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ गारंटियां जारी करना शामिल है, उसी अधिनियम की धारा 20 के अर्थ के भीतर 'ऋण और अग्रिम' के रूप में नहीं माना जाता है। इस संबंध में, अपने निदेशकों की ओर से गारंटियां देनेवाले बैंकों के विशेष संदर्भ में यह नोट करना प्रसंगानुकूल है कि अपनी देयता निभाने में

मूल देनदार द्वारा चूक किये जाने और गारंटी के अधीन अपने दायित्व को पूरा करने के लिए बैंक को कहे जाने की स्थिति में बैंक और निदेशक का संबंध लेनदार और देनदार का बन सकता है। साथ ही, निदेशक बैंक द्वारा दी गयी गारंटी पर तीसरी पार्टी से उधार लेकर धारा 20 के उपबंधों की अपवंचना भी कर सकेगा। यदि बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कदम नहीं उठाते हैं कि धारा 20 के अंतर्गत उन पर देयताएं न आयें तो इस तरह के लेनदेनों के कारण इस धारा को अधिनियमित किये जाने का उद्देश्य ही विफल हो सकता है।

2.2.6.2 उपर्युक्त को देखते हुए, बैंकों को निदेशकों और ऐसी कंपनियों / फर्मों की ओर से जिनमें निदेशक का हित है, गैर-निधिक सुविधाएं जैसे गारंटियां आदि देते समय यह सुनिश्चित करना चाहिए कि -

i. बैंक की संतुष्टि के अनुसार इस बात की पर्याप्त और कारगर व्यवस्थाएं की गयी हैं कि जिसकी ओर से गारंटी जारी की गयी है उस पार्टी द्वारा अपने संसाधनों से वायदे पूरे किये जायेंगे, और

ii. बैंक को गारंटी लागू करने के परिणामस्वरूप देयता पूरी करने के लिए कोई ऋण या अग्रिम प्रदान करने के लिए नहीं कहा जायेगा।

2.2.6.3 यदि उपर्युक्त (ii) के अनुसार ऐसी आकस्मिकताएं आती हैं, तो बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 20 के उपबंधों के उल्लंघन का एक पार्टी माना जायेगा।

2.2.7 भारत सरकार की बैंक गारंटी योजना

2.2.7.1 संविदाकर्ताओं द्वारा जमानती जमाराशि आदि के बदले केन्द्रीय सरकारी विभागों के पक्ष में बैंक गारंटी जारी करने के लिए भारत सरकार द्वारा बनायी गयी बैंक गारंटी योजना में समय-समय पर संशोधन किया गया है। इस योजना के अधीन सरकारी विभागों को यह छूट है कि वे सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से मुक्त रूप से गारंटियां आदि स्वीकार करें।

2.2.7.2 बैंकों को **अनुबंध I** में दिया गया बैंक गारंटी बांड का मॉडल फार्म अपनाना चाहिए। भारत सरकार ने सभी सरकारी विभागों / सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों, आदि को यह सूचित किया है कि वे मॉडल बांड में बैंक गारंटियां स्वीकार करें तथा यह सुनिश्चित करें कि जब भी उसके खंडों में परिवर्तन / परिवर्धन करना जरूरी समझा जाये तब वह इकतरफा न हो तथा वे गारंटी देनेवाले बैंक के साथ सहमति से किये जायें। बैंकों को गारंटी बांडों और विभिन्न राज्य सरकारों के साथ अपने पत्राचार में लाभान्वित होनेवाले विभाग के नाम तथा जिस प्रयोजन के लिए गारंटियां निष्पादित की जा रही हैं उसका उल्लेख करना चाहिए। संबंधित विभागों के साथ गारंटियों का तत्काल पता लगाने के लिए यह आवश्यक है। भारत के राष्ट्रपति के नाम सरकारी विभागों के पक्ष में बैंकों द्वारा दी गयी गारंटियों के संबंध में, उनके बारे में कोई भी पत्राचार संबंधित मंत्रालय / विभागों के साथ किया जाना चाहिए, न कि भारत के राष्ट्रपति के साथ। महा निदेशक, आपूर्ति और निपटान के पक्ष में जारी गारंटियों के संदर्भ में निम्नलिखित पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए :

- i. बैंक गारंटी की प्रामाणिकता के सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी लाने के उद्देश्य से बैंक गारंटियों पर हस्ताक्षर करनेवाले अधिकारियों के हस्ताक्षर / हस्ताक्षरों के नीचे गारंटियों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी / अधिकारियों का नाम, पदनाम और कोड नंबर दिया जाना चाहिए।
- ii. बैंक गारंटी के लाभान्विती को भी यह सूचित किया जाना चाहिए कि वह अनिवार्य रूप से सुरक्षा के उपाय के रूप में संबंधित बैंक द्वारा जारी गारंटी की प्रामाणिकता के बारे में उससे पुष्टि प्राप्त करे।
- iii. महा निदेशक, आपूर्ति और निपटान संविदा प्रशासन में जमानत के रूप में बैंकों द्वारा जारी बैंक गारंटी की प्रारंभिक अवधि मूल दाति (सुपर्दगी) अवधि के बाद छः महीने की अवधि के लिए होगी। बैंक गारंटी की वैधता अवधि को स्वतः 6 महीने बढ़ाने का प्रावधान करने के लिए अपनी बैंक गारंटी में उपयुक्त खंड शामिल कर सकते हैं तथा गारंटी करते समय ग्राहक से उपयुक्त वचन भी प्राप्त कर सकते हैं, ताकि बाद में किसी संभावित जटिलता से बचा जा सके।
- iv. महा निदेशक, आपूर्ति और निपटान द्वारा महा निदेशक, आपूर्ति और निपटान (डीजीएस एंड डी) के टेंडर फार्म 229 (निविदाकर्ताओं को अनुदेश) में इस आशय का एक खंड शामिल किया जाये कि जब भी कोई फर्म, उस स्थिति में जहां बैंक गारंटी दी गयी है, संविदा की दाति अवधि के भीतर माल की आपूर्ति नहीं कर पाये, तो दाति अवधि को बढ़ाये जाने के अनुरोध को स्वतः ही बैंक गारंटी बढ़ाये जाने के लिए करार के रूप में ले लिया जायेगा। बैंकों को गारंटी अवधि स्वतः बढ़ाने के लिए बैंक गारंटियों में इसी प्रकार के प्रावधान करने चाहिए।
- v. सीमा शुल्क विभाग द्वारा जारी की गई सार्वजनिक सूचना में अन्य बातों के साथ-साथ यह शर्त रखी गई है कि आयातक द्वारा प्रस्तुत की गई सभी बैंक गारंटियों में ही स्वनवीकरण खंड निहित होना चाहिए। चूंकि सीमा शुल्क विभाग द्वारा जारी की गई सार्वजनिक सूचना में निहित शर्त डीजीएस एण्ड डी के टेंडर फॉर्म में निहित सूचना के समान है इसलिए उपर्युक्त उप-पैराग्राफ (iv) के अनुसार डीजीएस एण्ड डी को जारी की गई बैंक गारंटियों में गारंटी की अवधि के स्वतः विस्तार का प्रावधान सीमा शुल्क गृहों के पक्ष में जारी की गई बैंक गारंटियों पर भी लागू किया जाए।
- vi. महा निदेशक, आपूर्ति और निपटान संविदा प्रशासन में जमानत के रूप में बैंक गारंटी और उसकी अवधि बढ़ाने के पत्र गैर-न्यायिक स्टैम्प पेपर पर होंगे।

2.2.8 शेयर और स्टॉक दलालों /पण्य दलालों की ओर से गारंटियां

बैंक जमानती जमाराशियों के बदले स्टॉक एक्सचेंजों के पक्ष में शेयर और स्टॉक दलालों की ओर से उस सीमा तक गारंटियां जारी कर सकते हैं जिस सीमा तक वह स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा निर्धारित बैंक गारंटी के फार्म में स्वीकार्य हो। बैंक स्टॉक एक्सचेंजों के विनियमों के अनुसार मार्जिन आवश्यकताओं के बदले गारंटियां भी जारी कर सकते हैं। बैंकों को आगे यह भी सूचित किया गया है कि वे ऐसी गारंटियां जारी करते समय 50 प्रतिशत का न्यूनतम मार्जिन प्राप्त करें। बैंकों द्वारा जारी इस प्रकार की गारंटियों के संदर्भ में 25 प्रतिशत का न्यूनतम नकद मार्जिन (50 प्रतिशत के उपर्युक्त मार्जिन के भीतर) रखा जाना चाहिए। 50 प्रतिशत की उपर्युक्त न्यूनतम मार्जिन अपेक्षा तथा 25 प्रतिशत की न्यूनतम नकदी मार्जिन अपेक्षा (50 प्रतिशत मार्जिन के भीतर) राष्ट्रीय स्तर के पण्य एक्सचेंजों अर्थात् राष्ट्रीय पण्य और डेरिवेटिव एक्सचेंज (एनसीडीइएक्स), मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एमसीएक्स) और नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएमसीइआइएल) के पक्ष में पण्य दलालों की ओर से बैंकों द्वारा पण्य एक्सचेंज विनियामावली के अनुसार मार्जिन अपेक्षाओं के बदले जारी की गयी गारंटियों पर भी लागू होगी। बैंकों को प्रत्येक आवेदक ऋणकर्ता की जरूरत का मूल्यांकन करना चाहिए तथा ऋण आदि जोखिम संबंधी उच्चतम सीमाओं सहित सामान्य और आवश्यक सुरक्षा उपाय अपनाने चाहिए।

2.2.9 ऋण लेनेवाले प्रतिष्ठानों के निदेशकों और अन्य प्रबंधकीय कार्मिकों की व्यक्तिगत गारंटियां प्राप्त करने के संबंध में दिशानिर्देश

2.2.9.1 निदेशकों की व्यक्तिगत गारंटियां

जब किसी मामले की सावधानीपूर्वक जांच के बाद अत्यंत जरूरी हो केवल तभी सरकारी अथवा निजी क्षेत्र की कंपनियों को दी गयी ऋण सुविधाओं आदि के लिए बैंक निदेशकों की व्यक्तिगत गारंटियां ले सकते हैं, साधारण तौर पर नहीं। ऐसी परिस्थितियों का पता लगाने के लिए जिनमें गारंटी आवश्यक समझी जा सकती है या आवश्यक नहीं समझी जा सकती है, बैंक मोटे तौर पर निम्नलिखित बातों को अपना सकते हैं :

क. जहां गारंटियां आवश्यक नहीं समझी जातीं

i. सामान्यतः, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के मामले में, जब ऋण देनेवाली संस्थाएं प्रबंधन, प्रतिष्ठान में उसके हिस्से, प्रस्ताव की आर्थिक व्यवहार्यता तथा वित्तीय स्थिति और नकदी निर्मित करने की क्षमता के बारे में संतुष्ट हों, तो व्यक्तिगत गारंटी पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए। दरअसल, व्यापक रूप से स्वाधिकृत ऐसी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के मामले में जिन्हें प्रथम श्रेणी का दर्जा दिया गया है और जो उपर्युक्त शर्तें पूरी करती हैं, गारंटियों की जरूरत नहीं होगी, भले ही अग्रिम गैर-जमानती हों। साथ ही, ऐसी कंपनियों के मामले में, चाहे वे निजी या सार्वजनिक हों, जो व्यावसायिक प्रबंधन के अधीन हैं, उन व्यक्तियों से

गारंटियों के लिए जोर नहीं दिया जाना चाहिए, जो केवल अपनी व्यावसायिक / तकनीकी योग्यता की हैसियत से, न कि संबंधित कंपनी में किसी महत्वपूर्ण शेयर-धारिता के फलस्वरूप, प्रबंधन से जुड़े हैं।

ii. जहां ऋण देनेवाली संस्थाएं ऋण प्रस्तावों के ऊपर उल्लिखित पहलुओं के बारे में पूरी तरह आश्वस्त नहीं हैं, वहां उन्हें ऐसी गारंटियों के बिना प्रस्तावों को स्वीकार्य बनाने के लिए शर्तों को निर्दिष्ट करने की मांग करनी चाहिए। कुछ मामलों में, वित्तीय अनुशासन के अधिक कठोर स्वरूप जरूरी होंगे, जैसे लाभांश वितरित करने, आगे विस्तार करने, कुल उधारों, आस्तियों पर आगे प्रभार निर्मित करने पर प्रतिबंध तथा न्यूनतम शुद्ध कार्यकारी पूंजी बनाये रखने की शर्त। साथ ही, स्वाधिकृत निधियों और पूंजी निवेश के बीच समतुल्यता तथा समग्र ऋण-ईक्विटी अनुपात को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

ख. जहां गारंटियां सहायक समझी जायेंगी

i. उस स्थिति में, निजी या सार्वजनिक कंपनियों के संदर्भ में निदेशकों की व्यक्तिगत गारंटियां सहायक मानी जा सकती हैं, जहां शेयर पूरी तरह किसी व्यक्ति या संबंधित व्यक्तियों या समूह (जो व्यावसायिक या सरकारी न हों) द्वारा धारित हों, भले ही अन्य तत्व जैसे वित्तीय स्थिति, उपलब्ध जमानत कुछ भी हो। अपवाद केवल उन कंपनियों के संदर्भ में है जहां, न्यायालय या सांविधिक आदेश द्वारा, कंपनी का प्रबंधन किसी ऐसे एक व्यक्ति या व्यक्तियों में निहित हो, चाहे उसे निदेशक या अन्य कोई नाम दिया गया हो, जिसे शेयरधारकों द्वारा चुने जाने की जरूरत नहीं है। जहां व्यक्तिगत गारंटी को आवश्यक समझा जाये, वहां गारंटी अधिमान्यतः निदेशक के रूप में या किसी प्रबंधकीय क्षमता में कार्यरत निदेशक / प्रबंधकीय कार्मिक के बजाय ऋण लेनेवाली कंपनी में शेयर धारित करने वाले समूह के प्रमुख सदस्यों की होनी चाहिए।

ii. भले ही कोई कंपनी कुछ ही व्यक्तियों द्वारा पूरी तरह धारित न हो, फिर भी प्रबंधन की निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए निदेशकों की व्यक्तिगत गारंटी के लिए औचित्य हो सकता है। उदाहरण के लिए ऋण देनेवाली संस्था ऐसी कंपनी को ऋण दे सकती है जिसके प्रबंधन को अच्छा समझा जाता है। बाद में, कोई ऐसा दूसरा समूह कंपनी का नियंत्रण प्राप्त कर सकता है, जो ऋण देनेवाली संस्था को ऐसी स्थिति में पहुंचा दे जहां इस बात का सुस्पष्ट भय हो कि प्रबंधन का बदलाव उसे बुरी स्थिति में ले जायेगा और कंपनी की दी गयी निधियां जोखिम में पड़ जायेंगी। ऐसी परिस्थितियों में ऋण देनेवाली संस्थाएं जिस तरह से अपने को सुरक्षित कर सकती हैं उनमें एक तरीका यह है कि निदेशकों की गारंटी प्राप्त की जाये और इस प्रकार यह सुनिश्चित किया जाये की प्रबंधन की निरंतरता या प्रबंधन में होनेवाले परिवर्तन उनकी जानकारी से होते हैं। उन मामलों में भी जहां व्यक्तिगत गारंटियों से छूट दी गयी है, ऋण लेनेवाली कंपनी से इस बात का वचन लेना जरूरी होगा कि ऋण देनेवाली संस्था की सहमति के बिना प्रबंधन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी प्रकार, कंपनी की निर्माणात्मक

अवस्थाओं के दौरान, कंपनी तथा ऋण देनेवाली संस्था के हित में होगा कि गारंटियां प्राप्त की जायें, ताकि प्रबंधन की निरंतरता को सुनिश्चित किया जा सके ।

iii. प्रथम श्रेणी का दर्जा प्राप्त कंपनियों के अलावा उन पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के संबंध में, जहां अग्रिम गैर-जमानती आधार पर है, निदेशकों की वैयक्तिक गारंटियां सहायक होंगी।

iv. ऐसी पब्लिक लिमिटेड कंपनियां हो सकती हैं जिनकी वित्तीय स्थिति और /या नकदी निर्मित करने की क्षमता संतोषजनक न हो, भले ही संबंधित अग्रिम जमानत प्राप्त हों। ऐसे मामलों में वैयक्तिक गारंटियां उपयोगी होती हैं ।

v. उन मामलों में, जहां आस्तियों पर ऋण भार सृजित करने में काफी विलंब होने की संभावना है, वहां ऋण के संवितरण और आस्तियों पर ऋण भार सृजित करने के बीच की अंतरिम अवधि के लिए आवश्यकतानुसार गारंटी ली जाये ।

vi. ऐसी सहायक कंपनियों के मामले में, जिनकी स्वयं की वित्तीय स्थिति संतोषजनक नहीं मानी जा रही है, मूल कंपनियों की गारंटी प्राप्त की जाये ।

vii. व्यक्तिगत गारंटियां वहां उचित हैं जहां किसी कंपनी के तुलनपत्र या वित्तीय विवरण से यह पता चले कि निधियां कंपनी और समूह के स्वामित्व वाली या उसके प्रबंधन वाले अन्य प्रतिष्ठानों के बीच फंसी हुई हैं ।

ग. गारंटीकर्ताओं की माली हालत, गारंटी का भुगतान, कमीशन आदि

i. जहां निदेशकों की व्यक्तिगत गारंटियाँ आवश्यक हों, वहां वे उस व्यक्ति की अनुमानित माली हालत के उचित अनुपात में होनी चाहिए। गारंटियां प्राप्त करने की प्रणाली को निदेशकों और अन्य प्रबंधकीय कार्मिकों द्वारा कंपनी की आय के स्रोत के रूप में प्रयोग में नहीं लाया जाना चाहिए। बैंकों को ऋण लेनेवाली कंपनी से तथा गारंटीकर्ताओं से यह वचन प्राप्त करना चाहिए कि कमीशन, दलाली-शुल्क या किसी अन्य रूप में कोई प्रतिफल उक्त कंपनी द्वारा अदा नहीं किया जायेगा या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से गारंटीकर्ता द्वारा प्राप्त किया जायेगा। इस अपेक्षा को ऋण सीमाएं स्वीकृत करने संबंधी बैंक की शर्तों में शामिल करना चाहिए। आवधिक निरीक्षणों के दौरान, बैंक के निरीक्षकों को यह सत्यापित करना चाहिए कि इस शर्त का अनुपालन किया गया है। तथापि, ऐसे अपवादात्मक मामले हो सकते हैं जहां पारिश्रमिक के भुगतान की अनुमति दी जा सकती है, जैसे जहां सहायक प्रतिष्ठान ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं और वर्तमान गारंटीकर्ता प्रबंधन के साथ सम्बद्ध नहीं हैं परंतु उनकी गारंटियों को जारी रखना इसलिए आवश्यक समझा जा रहा है क्योंकि या तो नये प्रबंधन की गारंटी उपलब्ध नहीं है या पर्याप्त नहीं पायी गयी है और गारंटी कमीशन के रूप में गारंटीकर्ताओं को पारिश्रमिक के भुगतान की अनुमति दी गयी है ।

घ. बीमार इकाइयों के मामले में व्यक्तिगत गारंटियां

चूंकि प्रायोजकों /निदेशकों की व्यक्तिगत गारंटियों से सामान्यतः उन पर अधिक जवाबदेही और जिम्मेदारी आती है और प्रबंधन, सहायताप्राप्त यूनिटों को सुदृढ़ और स्वस्थ आधार पर चलाने के लिए प्रेरित होते हैं, अतः वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए बैंक अपने विवेकानुसार निदेशकों (नामित निदेशकों को छोड़कर) और अन्य प्रबंधकीय कार्मिकों से उनकी व्यक्तिगत क्षमता में गारंटियां प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी कारण से अग्रिम स्वीकृत करते समय बैंक द्वारा गारंटी समयोजित न समझी जाये, तो अलग-अलग निदेशक से वचन प्राप्त करना चाहिए और ऋण करार में अनिवार्य रूप से एक प्रसंविदा समाविष्ट करनी चाहिए कि यदि ऋण लेनेवाली इकाई नकदी हानि या प्रतिकूल चालू अनुपात या निधियों का अन्यत्र उपयोग दर्शाये, तो निदेशकों को, यदि बैंक द्वारा अपेक्षित हो तो, उनकी व्यक्तिगत क्षमता में गारंटियां निष्पादित करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। बैंक मूल / नियंत्रक कंपनी से भी अपने विवेकानुसार उस स्थिति में गारंटियां प्राप्त कर सकते हैं, जब उसी समूह की ऋण लेनेवाली इकाइयों को ऋण सुविधाएं दी जायें।

2.2.10 राज्य सरकार की गारंटियां

राज्य सरकार के उपक्रमों / परियोजनाओं के प्रस्ताव के संदर्भ में निदेशकों और अन्य प्रबंधकीय कार्मिकों की व्यक्तिगत गारंटियां लेने के लिए भी उपर्युक्त पैराग्राफ 2.2.9 में निर्दिष्ट दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाना चाहिए और जब तक बिल्कुल जरूरी न हो तब तक गारंटी पर बल नहीं दिया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, बैंक गुणवत्ता के आधार पर और केवल प्रत्येक मामले की परिस्थितियों की पूरी जांच करने के पश्चात् ही बिल्कुल आवश्यक परिस्थितियों में, राज्य सरकारों की गारंटियां प्राप्त कर सकते हैं, न कि नियमित रूप में।

2.3 विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गारंटी) विनियमावली के अंतर्गत जारी विनियमों द्वारा नियंत्रित गारंटियां

2.3.1 निर्यातों के लिए बोली बांड और कार्यनिष्पादन बांड अथवा गारंटी

i. 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. एफईएमए.8/2000-आरबी के अनुसार प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को इस बात की अनुमति है कि वे भारत से वास्तविक निर्यातों के लिए विदेशी खरीदारों के पक्ष में कार्यनिष्पादन बांड या गारंटी दें।

ii. सतर्कता सूची में शामिल किये गये निर्यातकों के संबंध में कार्यनिष्पादन बांड / गारंटी जारी करने के लिए प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमोदन प्राप्त करना चाहिए। ऐसी कोई गारंटी जारी करने के पूर्व उन्हें इन बातों से स्वयं को संतुष्ट कर लेना चाहिए - आवेदक की वास्तविकता, संविदा पूरी करने की उसकी क्षमता और यह कि संविदा /निविदा के मूल्य के प्रतिशत के रूप में बोली /गारंटी का मूल्य उचित है एवं अंतरराष्ट्रीय

व्यापार की सामान्य पद्धति के अनुसार हैं तथा संविदा की शर्तें विदेशी मुद्रा प्रबंधन विनियमों के अनुसार हैं।

iii. जहाँ स्थानीय कानूनों /विनियमों के अनुसार विदेशी खरीदारों को सिर्फ स्थानीय बैंकों की गारंटियां स्वीकार्य हों उन मामलों में भारतीय निर्यातकों की ओर से अपनी विदेशी शाखाओं /प्रतिनिधियों द्वारा जारी की जाने वाली गारंटियों को कवर करने के लिए प्राधिकृत व्यापारी बैंक उक्त शर्तों पर उनके पक्ष में काउंटर-गारंटियां भी जारी कर सकते हैं।

iv. जब कभी बांड /गारंटी लागू की जाये, प्राधिकृत व्यापारी बैंक उसके तहत देय राशि की अदायगी अनिवासी लाभार्थियों को कर सकते हैं।

2.3.2 बैंक गारंटी जारी करना

3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 8/2000-आरबी द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) विनियमावली 2000 के विनियम 4 के अनुसार प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को उक्त विनियम में उल्लिखित कतिपय मामलों में गारंटी देने की अनुमति दी गयी है।

(i) विदेशी एयरलाइन /आइएटीए के पक्ष में बैंक गारंटी जारी करना

विदेशी एयरलाइन कंपनियों के भारतीय एजेंट, जो अंतरराष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ (आइएटीए) के सदस्य हैं, को अपने टिकट विक्रय के कारोबार के संबंध में विदेशी एयरलाइन कंपनियों/आइएटीए के पक्ष में बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी पड़ती है। चूँकि इस कारोबार में यह मानक अपेक्षा है, अतः प्राधिकृत व्यापारी बैंक अपने कारोबार के दौरान विदेशी एयर लाइन कंपनियों के उन भारतीय एजेंटों की ओर से जो आइएटीए के सदस्य हैं, उनके टिकट विक्रय कारोबार के सिलसिले में विदेशी एअर लाइन कंपनियों /आइएटीए के पक्ष में गारंटी जारी कर सकते हैं।

(ii) सेवा आयातकों की ओर से बैंक गारंटी जारी करना

सेवाओं के आयात की प्रक्रिया (सरकारी क्षेत्र की कंपनी अथवा भारत सरकार /राज्य सरकारों के विभाग / उपक्रम से संबंधित प्रक्रिया को छोड़कर) को और उदार बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि प्राधिकृत व्यापारी संवर्ग I के बैंकों द्वारा गारंटी जारी करने की सीमा को 100000 अमरीकी डालर से बढ़ाकर 500000 अमरीकी डालर किया जाए। तदनुसार प्राधिकृत व्यापारी संवर्ग I के बैंकों को अब यह अनुमति दी गई है की 500000 अमरीकी डालर अथवा उसकी समतुल्य राशि से अनधिक राशि के लिए अनिवासी सेवा प्रदाता के पक्ष में सेवा आयात करने वाले अपने निवासी ग्राहकों की ओर से गारंटी जारी करें, बशर्ते :

(क) प्राधिकृत व्यापारी संवर्ग - I का बैंक सौदे की प्रमाणिकता के संबंध में संतुष्ट है;

- (ख) प्राधिकृत व्यापारी संवर्ग - I का बैंक सेवाओं के आयात के प्रलेखी साक्ष्य की यथासमय प्रस्तुति सुनिश्चित करता है; और
- (ग) गारंटी का उद्देश्य निवासी और अनिवासी के बीच होनेवाली संविदा से उत्पन्न प्रत्यक्ष संविदागत देयता को सुरक्षित करना है।

सरकारी क्षेत्र की कंपनी अथवा भारत सरकार /राज्य सरकारों के विभाग / उपक्रम के मामले में 100000 अमरीकी डालरों (एक लाख अमरीकी डालर) अथवा उसकी समतुल्य राशि से अधिक राशी के लिए गारंटी जारी करने हेतु वित्त मंत्रालय, भारत सरकार का अनुमोदन अपेक्षित होगा।

(iii) बैंक गारंटी जारी करना - पण्य हेज करना

भारत में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I का बैंक भारत में निवास करनेवाले किसी व्यक्ति के ऐसे दायित्व के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित शर्तों के अधीन गारंटी अथवा आपाती साख पत्र दे सकता है, जो कि ऐसे व्यक्ति के अनुमोदित पण्य हेजिंग लेनदेन के संबंध में मार्जिन राशि की अदायगी के संबंध में भारत के बाहर निवासी व्यक्ति को देय हैं। बैंकों को सूचित किया जाता है कि प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I का बैंक जिन शर्तों तथा दिशानिर्देशों के आधार पर उपर्युक्त सुविधा के अंतर्गत आपाती साख पत्र/बैंक गारंटी जारी कर सकता है उनके लिए वे 'जोखिम प्रबंधन तथा अंतर-बैंक व्यवहार' पर 1 जुलाई 2009 का मास्टर परिपत्र देखें।

(iv) गारंटी लागू करने के मामले में, प्राधिकृत व्यापारी बैंक को चाहिए कि वह गारंटी लागू करने की परिस्थितियों को स्पष्ट करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग, बाह्य भुगतान प्रभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई - 400 001 को भेजे।

2.3.3 अन्य शर्तें

i. निर्यात बढ़ाने की दृष्टि से, निर्यात के प्रयोजनों के लिए बोली बांड और कार्यनिष्पादन गारंटियां जारी करते समय बैंकों को कवर प्राप्त करने, आस्तियां / ऋण सीमाएं निश्चित करने और आहरण-अधिकार के मामले में लचीला दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। तथापि, जहाँ आवश्यक समझा जाये बैंकों को ई सी जी सी से कार्यनिष्पादन गारंटी प्राप्त कर अपने हितों की रक्षा करनी चाहिए।

ii. निर्यात ऋण और गारंटी निगम बोली बांड के लिए 90 प्रतिशत कवर प्रदान करेगा, बशर्ते बैंक नकदी मार्जिनों पर आग्रह न करने के लिए वचन दें।

iii. अतः बैंक ई सी जी सी द्वारा काउंटर-गारंटी प्राप्त बोली बांडों और गारंटियों के संबंध में किसी नकदी मार्जिन की मांग नहीं करेंगे ।

iv. अन्य मामलों में, जहाँ ई सी जी सी की काउंटर-गारंटी किसी भी कारण से उपलब्ध न हो, बैंक उचित नकदी मार्जिन का निर्धारण सिर्फ उन मामलों में करें जहाँ वह अत्यंत आवश्यक हो, क्योंकि वे सामान्यतः ऐसी बोली बांड / गारंटियां जारी करते समय निर्यातक की क्षमता और वित्तीय स्थिति के बारे में स्वयं को संतुष्ट कर लेते हैं ।

v. बैंक बोली बांड जारी करने के लिए अलग सीमाएं स्वीकृत करने पर विचार कर सकते हैं। इस प्रकार स्वीकृत सीमाओं के भीतर, अलग-अलग संविदाओं के प्रति बोली बांड सामान्य प्रतिफलों की शर्त पर जारी किये जायें ।

2.3.4 भारतीय निर्यातकों की ओर से विदेशी नियोक्ताओं / आयातकों के पक्ष में बिना शर्त गारंटी

i. भारतीय निर्यातकों की ओर से विदेशी नियोक्ताओं / आयातकों के पक्ष में बिना शर्त गारंटी देने के लिए सहमति देते हुए बैंकों को निर्यातक से इस आशय का वचन प्राप्त करना चाहिए कि जब कभी गारंटी लागू की जाये बैंक निर्यातक और आयातक के बीच किसी विवाद के होते हुए भी अदायगी करने का हकदार होगा। यद्यपि, ऐसे वचन के कारण निर्यातक को निषेधाज्ञा के लिए न्यायालय के पास जाने से रोका नहीं जा सकता तथापि इसके आधार पर न्यायालय यह राय बना सकता है कि क्या निषेधाज्ञा जारी की जानी चाहिए ।

ii. बैंक भविष्य में गारंटियां जारी करते समय उक्त बातें ध्यान में रखें और अपने विधि परामर्शदाताओं के परामर्श से करार में उपयुक्त खण्ड समाविष्ट करें। यह वांछनीय है, क्योंकि गारंटी लागू किये जाने पर उसे नकारने से विदेशी बैंक भारतीय बैंकों की गारंटियां स्वीकार करना बंद कर सकते हैं, जिससे देश के निर्यात संवर्धन संबंधी प्रयासों में रुकावट आयेगी।

2.3.5 परियोजना निर्यातों के मामले में कुछ सावधानियां

i. बैंक यह जानते हैं कि अधिक मूल्य के विदेशी परियोजना निर्यातों के लिए बोली के बाद की अवस्थाओं में सिद्धांत रूप में पैकेज अनुमोदन देने के प्रयोजन के लिए कार्यकारी दल की प्रक्रिया विकसित की गयी है । कार्यकारी दल की भूमिका मुख्यतः विनियामक स्वरूप की है, परंतु परियोजना के मूल्यांकन और परियोजना पर निगरानी रखने का उत्तरदायित्व अकेले प्रायोजक बैंक पर है ।

ii. चूंकि कार्यकारी दल के अनुमोदन प्रायोजक बैंकों की सिफारिशों पर आधारित हैं अतः प्रायोजक बैंकों को संविदाकर्ता / उप संविदाकर्ताओं की क्षमता, संविदाओं के संरक्षी खण्डों, प्रतिभूति की पर्याप्तता, यदि कोई विदेशी उप संविदाकर्ता हो तो उनकी की क्रेडिट रेटिंग, आदि के संबंध में परियोजना प्रस्तावों की पूरी जांच करनी चाहिए ।

iii. अतः देशी परियोजना के वित्तपोषण के मामले में प्रस्तावों में शामिल वित्तीय और तकनीकी मांगों की तुलना में संविदाकर्ताओं (उप संविदाकर्ताओं सहित) तथा विदेशी नियोक्ताओं की क्षमता का सावधानी से आकलन करने की आवश्यकता को शायद ही कम कर आंका जा सके। वस्तुतः, निर्यात परियोजनाओं के उच्च मूल्य तथा चूक के मामले में विदेशी मुद्रा हानि की संभावनाओं तथा साथ ही भारतीय उद्यमियों की छवि की क्षति को देखते हुए उन पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

iv. जहां बोली बांड और कार्यनिष्पादन गारंटियों को टाला नहीं जा सकता, वहीं इस मामले पर विचार किया जाना है कि क्या विदेशी परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए विदेशी उधार राशियों के सभी मामलों में बैंकों द्वारा गारंटियां दी जानी चाहिए। ऐसी गारंटियां सिर्फ निर्यात-आयात बैंक की सहभागिता तथा ई सी जी सी काउंटर-गारंटी की उपलब्धता के कारण सामान्य रूप से निष्पादित नहीं की जानी चाहिए। गारंटी प्रदान करने के बाद अनुवर्ती कार्रवाई के लिए तथा संविदाओं पर निगरानी रखने के लिए उपयुक्त व्यवस्थाएं भी की जानी चाहिए।

2.3.6 निर्यात अग्रिम के लिए गारंटियां

(i) भारतीय रिज़र्व बैंक के ध्यान में आया है कि न्यून निर्यात आवर्त (टर्नओवर) वाले निर्यातक देशी बैंक गारंटियों के बदले, न्यून ब्याज दर वाली मुद्राओं में बड़ी राशि के निर्यात अग्रिम प्राप्त कर रहे हैं तथा ब्याज दर अंतर का लाभ उठाने के लिए वे ऐसे अग्रिमों को भारतीय रुपयों में बैंकों में जमा करते हैं। इसके अलावा, अग्रिम प्राप्त होने से पहले ही इस शर्त के साथ गारंटियां जारी की जा रही हैं कि अग्रिम प्राप्त हो जाने के बाद ही गारंटियां प्रभावी होंगी। निर्यात अग्रिमों के बट्टागत मूल्यों के बदले सममूल्य पर गारंटियां जारी की जा रही हैं। फेमा विनियमों का उल्लंघन करते हुए बिना किसी निर्यात परिणति के तथा/या पूर्व कार्य-निष्पादन देखे बगैर निर्यातकों को खुले तौर पर वायदा संविदा बुक करने, निरस्त करने तथा पुनः बुक (रिबुक) करने की अनुमति दी जा रही है। यह भी पाया गया है कि निर्यातक अपने मुद्रा एक्सपोजर के भारतीय रुपया-अमेरिकी डॉलर लेग के बड़े हिस्से को खुला रखते हैं जिससे निर्यातकों और देशी बैंकों, दोनों को ही विदेशी मुद्रा जोखिम रहता है। ऐसे मामलों में, सामान्यतः न तो निर्यात हुआ होता है और न ही निर्यातकों की कोई अच्छी पृष्ठभूमि है या बड़े पैमाने के निर्यात आदेश निष्पादित करने की उनकी क्षमता है। ये लेनदेन मूलतः ब्याज दर अंतर और मुद्रा मूल्यों की घट-बढ़ से लाभ उठाने के लिए तैयार किये गये हैं, तथा पूंजी प्रवाह पर इसका प्रभाव पड़ सकता है।

(ii) निर्यातक द्वारा भारत से निर्यात करने के लिए लिये गये ऋण या अन्य देयताओं के संबंध में गारंटियों की अनुमति दी गई है। अतः इसका उद्देश्य निर्यातक द्वार निर्यात अनुबंधों को निष्पादित करने में सहायता देना था और इसका कोई अन्य उद्देश्य नहीं था। विद्यमान अनुदेशों के अनुसार बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि गारंटियों में अंतर्निहित जोखिम होता है तथा यह बैंक के हित में या लोक हित में नहीं होगा कि साधारण तौर पर केवल गारंटी

सुविधाओं की आसान उपलब्धता के बल पर पार्टियों को अपनी प्रतिबद्धता अनावश्यक रूप से बढ़ाने के लिए तथा नए उद्यम प्रारंभ करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। अतः इस बात को दोहराया जाता है कि चूंकि गारंटियों में अंतर्निहित जोखिम होते हैं, पैरा 3.6 (i) में उल्लिखित लेनदेन यदि बैंकों द्वारा किए जाते हैं तो यह बैंक और वित्तीय प्रणाली के हित में नहीं होगा। अतएव बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे निर्यात अग्रिमों के बदले गारंटियां प्रदान करते समय सावधानी बरतें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि फेमा विनियमों का उल्लंघन नहीं होता है तथा बैंक विभिन्न जोखिमों में नहीं पड़ते हैं। बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें ऐसे निर्यातकों के संबंध में आवश्यक छानबीन करनी चाहिए तथा इस प्रकार के निर्यात आदेशों को निष्पादित करने की उनकी क्षमता की जाँच करने के लिए उनके ट्रैक रिकार्ड की जाँच करनी चाहिए।

(iii) बैंकों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि निर्यातकों द्वारा प्राप्त किए गए निर्यात अग्रिमों में विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत जारी विनियमों /निदेशों का अनुपालन हुआ है।

2.3.7 बैंक प्रक्रियाओं की समीक्षा

बैंक शक्तियों के प्रत्यायोजन और उनकी प्रक्रियाओं की स्थिति की समीक्षा करें तथा निर्यात प्रस्तावों पर त्वरित निर्णय लेने की दृष्टि से यथावश्यक कार्रवाई करें। वे प्रत्येक महत्वपूर्ण केंद्र में पर्याप्त रूप से योग्य और प्रशिक्षित स्टाफ से युक्त विशिष्ट शाखा बनाने पर भी विचार कर सकते हैं, ताकि निर्यात ऋण संबंधी सभी प्रस्तावों का निपटान त्वरित रूप से उसी केंद्र में हो सके।

2.3.8 विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियमावली द्वारा विनियमित अन्य गारंटियां

विदेशी मुद्रा प्रबंधन विनियमावली द्वारा निम्न प्रकार की गारंटियों के निर्गम का प्रबंधन होता है :

- i. छोटी गारंटियां
- ii. बैंक गारंटियां - विदेशी ऋणों / उधारों (क्रेडिट) के अंतर्गत आयात
- iii. अनिवासियों के लिए गारंटियां

परिचालनात्मक अनुदेशों के लिए उक्त 3 मई 2000 के एफईएमए. 8/2000 के अंतर्गत जारी अधिसूचना तथा विदेशी मुद्रा विभाग द्वारा अपने मास्टर परिपत्रों में जारी किये गये दिशानर्देश देखें। तथापि, सुलभ संदर्भ के लिए, इन गारंटियों के निर्गम के संदर्भ में अनुदेश /दिशा-निर्देश नीचे दिये जा रहे हैं :

2.3.8.1 छोटी गारंटियां

प्राधिकृत व्यापारी बैंक अपने ग्राहकों और विदेशी शाखाओं और प्रतिनिधियों की ओर से खो गये या त्रुटिपूर्ण दस्तावेजों, हस्ताक्षरों की अधिप्रमाणिकता और उसी प्रकार के अन्य प्रयोजनों के संबंध में सामान्य कारोबार के दौरान गारंटियां मुक्त रूप से दे सकते हैं।

2.3.8.2 बैंक गारंटियां - विदेशी ऋणों / क्रेडिट के अंतर्गत आयात

बैंकों / वित्तीय संस्थाओं को बाह्य वाणिज्यिक उधारों (ईसीबी) के संबंध में विदेशी ऋणदाताओं के पक्ष में गारंटियां / आपाती साख-पत्र अथवा लेटर्स ऑफ कम्फर्ट जारी करने की अनुमति नहीं है। लघु और मझोले उद्यमों के मामले में ईसीबी से संबंधित गारंटियां / आपाती साख-पत्र अथवा लेटर्स ऑफ कम्फर्ट प्रदान करने के लिए बैंकों से प्राप्त आवेदनों पर गुणवत्ता के आधार पर विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन अनुमोदन रूट के अंतर्गत रिज़र्व बैंक विचार करेगा। वस्त्रोद्योग की कंपनियों द्वारा मल्टी फाइबर एग्रीमेंट को क्रमबद्ध रूप से समाप्त कर देने के बाद, वस्त्रोद्योग यूनिटों के आधुनिकीकरण अथवा विस्तार हेतु ईसीबी से संबंधित गारंटियां आपाती साख -पत्र, वचन पत्र अथवा लेटर्स ऑफ कम्फर्ट जारी करने के लिए बैंकों से प्राप्त आवेदनों पर, विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन, अनुमोदन रूट के अंतर्गत रिज़र्व बैंक विचार करेगा।

2.3.8.3 भारत में आयातों के लिए व्यापारिक उधार - गारंटियां जारी करना - शक्तियों का प्रत्यायोजन

i. विदेश स्थित आपूर्तिकर्ता, बैंक और वित्तीय संस्था द्वारा तीन वर्ष से कम की मूल समाप्ति अवधि के लिए सीधे आयातों के लिए दिये गये उधार का इसके बाद आयातों के लिए 'व्यापारिक उधार' के रूप में उल्लेख किया गया है। वित्त के स्रोत के आधार पर इस प्रकार के व्यापारिक उधार में आपूर्तिकर्ताओं के उधार या खरीददारों के उधार शामिल होंगे। यह नोट किया जाए कि तीन वर्ष और उससे अधिक के खरीददारों के उधार और आपूर्तिकर्ताओं के उधार बाह्य वाणिज्यिक उधारों (ईसीबी) की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं जो समय-समय पर संशोधित 31 जनवरी 2004 के (ए.पी. डीआइआर सीरीज) परिपत्र सं. 60 द्वारा जारी ईसीबी दिशा-निर्देशों द्वारा नियंत्रित है।

ii. प्राधिकृत व्यापारी बैंक पोतलदान की तारीख से एक वर्ष तक की समाप्ति अवधि वाली डीजीएफटी की निर्यात-आयात नीति के अंतर्गत अनुमत आयातों के लिए 20 मिलियन अमेरिकी डालर प्रति आयात लेनदेन तक भारत में आयातों के लिए व्यापारिक उधार का अनुमोदन कर सकते हैं। डीजीएफटी द्वारा वर्गीकृत पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए, प्राधिकृत व्यापारी बैंक एक वर्ष से अधिक और तीन वर्ष से कम की समाप्ति अवधि वाले 20 मिलियन अमेरिकी डालर प्रति आयात लेनदेन तक व्यापारिक उधार का अनुमोदन कर सकते हैं। प्राधिकृत व्यापारी बैंक द्वारा अनुमत अवधि से अधिक अवधि बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

iii. प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को यह सामान्य अनुमति दी गयी है कि वे विदेश स्थित आपूर्तिकर्ता, बैंक और वित्तीय संस्था के पक्ष में विदेश व्यापार नीति (स्वर्ण को छोड़कर) के अधीन अनुमत सभी गैर पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए एक वर्ष तक की अवधि हेतु तथा पूंजीगत वस्तुओं के आयात हेतु 3 वर्ष तक के लिए प्रति आयात 20 मिलियन अमेरिकी डालर तक गारंटियां/वचन पत्र/चुकौती आश्वासन पत्र (लेटर ऑफ कंफर्ट) जारी करें, परंतु ये समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विवेकपूर्ण दिशा-निर्देशों के अधीन होंगे। इस प्रकार की गारंटियों/वचन पत्रों/चुकौती आश्वासन पत्रों की अवधि पोतलदान की तारीख से गिने गये ऋण की अवधि के साथ समाप्त होनी चाहिए।

iv. जहां तक सूचना देने की व्यवस्था का संबंध है, प्राधिकृत व्यापारी बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे अपनी सभी शाखाओं द्वारा गारंटियां/वचन पत्र/चुकौती आश्वासन पत्र जारी करने के संबंध में आंकड़े, समेकित विवरण के रूप में, तिमाही अंतरालों पर (फार्मेट अनुबंध II में दिया गया है) प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग, ईसीबी प्रभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 11 वीं मंज़िल, फोर्ट, मुंबई - 400 001 (और एमएस-एक्सेल फाइल में fedcoecbd@rbi.org.in को ई-मेल से) को दिसंबर 2004 से इस प्रकार प्रेषित करें कि वह अगले महीने की 10 तारीख तक उक्त विभाग में पहुंच जाए।

2.3.8.4 भारत में प्रदान की गयी प्रतिभूतियों की जमानत पर विदेश में ऋण

दिनांक 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 8 / 2000 - आर बी के विनियम 4(2) के अनुसार कोई प्राधिकृत व्यापारी भारत से बाहर रहनेवाले व्यक्ति के किसी ऋण, दायित्व या अन्य देयता के संबंध में गारंटी दे सकता है जिसमें वास्तविक व्यापारिक लेनदेन के संबंध में ऐसे ऋण, दायित्व अथवा देयता शामिल है जिस पर भारत में रहनेवाले व्यक्ति का स्वामित्व है, बशर्ते यह गारंटी विदेश में स्थित अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा वाले बैंक की प्रति-गारंटी द्वारा रक्षित हो।

2.3.8.5 अनिवासियों के लिए गारंटियां

i. रिज़र्व बैंक ने 3 मई 2000 की अपनी अधिसूचना सं. एफईएमए /8/2000 द्वारा प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों की शर्त पर भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति के किसी ऋण या अन्य दायित्व या देयता के संबंध में भारत में रहने वाले व्यक्ति के पक्ष में गारंटी जारी करने की सामान्य अनुमति दी है।

ii. तदनुसार प्राधिकृत व्यापारी बैंक अनिवासी व्यक्तियों के ऋण, देयता या दायित्व वाले वास्तविक लेनदेनों के संबंध में अपनी विदेशी शाखाओं / प्रतिनिधियों या अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा वाले बैंक की ओर से भारत के निवासियों के पक्ष में गारंटियां / कार्यनिष्पादन बांड दे सकते हैं, बशर्ते वह बांड / गारंटी विदेशी प्रधान कार्यालय / शाखा / प्रतिनिधि या अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा वाले बैंक की प्रति-गारंटी द्वारा रक्षित हो।

